जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-17.05.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 17.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के साथी नौशाद पुत्र फरजन्दा निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली को दिनाँक 05.04.2025 को अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बिल्लू उर्फ रिफाकत पुत्र लियाकत निवासी ग्राम कुन्डा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 143/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 63/2025 धारा 115(2)/117(2)/191(2)/193(3)/351(2)/352 बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी, सट्टा पर्चा व पैन बरामदः-

दिनांक 16.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नकदी 650/- रुपये एवं सट्टा पर्चा व पैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फिरोज पुत्र युनुस निवासी मौहल्ला साजिद नगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नकदी 650/- रुपये।

2.सट्टा पर्चा व पैन।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलकलां में अवैध हथियार से फायरिंग की घटना व पुलिस पार्टी पर फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनाँक 01.05.2025 को रईस अहमद पुत्र जमशेद अली निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली के घर पर अभियुक्तगण द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर वादी रईस अहमद उपरोक्त की तहरीर के आधार पर दिनाँक 02.05.2025 को थाना कैराना पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 02.05.2025 को ही थाना कैराना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त ईनाम उर्फ धुरी पुत्र अफजल निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ भूरा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलकलां में अवैध हथियार से फायरिंग की घटना व पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आस मौहम्मद उर्फ भूरा पुत्र रहसी निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ भूरा उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 254/2025 धारा 109(1)/318/336(ii)/317 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी, सट्टा पर्चा व पैन बरामदः-

आज दिनांक 17.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नगदी 815/- रुपये एवं सट्टा पर्चा व पैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मारुफ पुत्र महबूब निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 815/- रुपये।

2.सट्टा पर्चा व पैन।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 मामलो में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 1,900/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2003 में अभियुक्त अलीशान उर्फ सेठी पुत्र फतेहजंग निवासी नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 46/2023 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल की अवधि के कारावास व 1,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2019 में अभियुक्त सतवीर पुत्र ऋषिपाल निवासी मौहल्ला ब्रह्मानान थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 848/2019 धारा 278 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.05.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 4,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI